भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4037

18.08.2025 को उत्तर के लिए

तटीय आवासों एवं मूर्त आय हेतु कच्छ वनस्पति पहल (मिष्टी)

4037. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में 'मैंग्रोव वृक्ष रोपण और पुनर्स्थापन' योजना के अंतर्गत कच्छ वनस्पति वृक्षारोपण एवं पुनरुद्धार की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) 'मिष्टी' के माध्यम से स्थानीय तटीय समुदायों के लिए, यदि कोई हो, सृजित आजीविका के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 'मिष्टी' के अंतर्गत पुन: स्थापित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में इको-पर्यटन और संबंधित क्रियाकलाप को बढ़ावा देने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) बजट घोषणा 2023-24 के एक भाग के रूप में, मैंग्रोव को विशिष्ट, प्राकृतिक पारि-प्रणाली के रूप में पुनर्स्थापित करने और बढ़ावा देने तथा तटीय पर्यावासों की संधारणीयता को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए दिनांक 5 जून, 2023 को तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) शुरू की गई है। मिष्टी का उद्देश्य भारत के तटों पर मैंग्रोव पुनर्वनीकरण/वनीकरण उपायों को अपनाकर मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है। मिष्टी के तहत कार्यकलापों का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य/राष्ट्रीय काम्पा, मनरेगा और राज्य योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शुरू हुआ। अब तक, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 22,560.34 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण और अवनत मैंग्रोव की बहाली की जा चुकी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक ।** में दिया गया है।

(ख) मिष्टी कार्यक्रम में वृक्षारोपण और वन बहाली जैसे मुख्य कार्यकलाप और सहायक कार्यकलाप, दोनों शामिल हैं, जिनमें आजीविका के स्रोतों में विविधता, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, योजना का प्रचार और जनसंपर्क, निगरानी और आकलन, और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से पारि-पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। मिष्टी के तहत राज्यों से प्राप्त योजनाओं के अनुसार, प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद, राज्य/राष्ट्रीय

काम्पा, मनरेगा, राज्य योजनाओं आदि के साथ अभिसरण के माध्यम से, दूसरे वर्ष में सहायक कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मैंग्रोव की वृक्षारोपण और पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में नर्सरी तैयार करना, वृक्षारोपण, मैंग्रोव की निगरानी रखना, बीज संग्रह, नहर की खुदाई, फीडर/फील्ड चैनल निर्माण और बीज रोपण जैसी मुख्य कार्यकलापों के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों की केंद्रीय भूमिका है।

(ग) तथा (घ) केंद्र सरकार ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में संशोधन किया है। तथा संशोधित प्रावधान के अनुसार, देश में पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पारि-पर्यटन को एक वानिकी कार्यकलाप बनाया गया है। मैंग्रोव-आधारित पारि-पर्यटन को बढ़ावा देना मिष्टी कार्यक्रम के तहत कार्यकलापों में से एक है और इसे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं के आधार पर राष्ट्रीय काम्पा के माध्यम से सहायता दी जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं के अनुसार पारि-पर्यटन के लिए प्रस्तावित आवंटन का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक 2** में दिया गया है। मिष्टी योजना विशेष रूप से भारत के तटों सहित अवनत मैंग्रोव क्षेत्रों के लिए है; इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य इस कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है।

अनुलग्नक 1

"तटीय आवासों एवं मूर्त आय हेतु कच्छ वनस्पति पहल (मिष्टी)" के संबंध में श्री बिद्युत बरन महतो, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्रीमती कमलेश जांगडे द्वारा दिनांक 18.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4037 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

तालिका: मिष्टी योजना की शुरूआत के बाद से अभिसरण के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मैंग्रोव वृक्षारोपण और पुनर्स्थापन

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	कुल
1	महाराष्ट्र	138.77	53.20	**191.97**
2	आंध्र प्रदेश	137.26	700.50	**837.76**
3	पुदुचेरी	0.00	6.00	**6.00**
4	लक्षद्वीप	0.003	0.003	**0.006**
5	गोवा	35.80	6.00	**41.80**
6	पश्चिम बंगाल	10.00	0.00	**10.00**
7	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.50	2.50	**17.00**
8	कर्नाटक	135.00	220.00	**355.00**
9	गुजरात	6930.00	12290.00	**19220.00**
10	ओडिशा	402.00	359.00	**761.00**
11	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	40.92	10.00	**50.92**
12	केरल	8.88	0.00	**8.88**
13	तमिलनाडु	570.00	490.00	**1060.00**
	कुल	**8423.13**	**14137.2**	**22560.34**

अनुलग्नक 2

"तटीय आवासों एवं मूर्त आय हेतु कच्छ वनस्पति पहल (मिष्टी)" के संबंध में श्री बिद्युत बरन महतो, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्रीमती कमलेश जांगडे द्वारा दिनांक 18.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4037 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

तालिका: राष्ट्रीय काम्पा से वित्त पोषण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में पारि-पर्यटन कार्यकलापों के लिए आवंटित धनराशि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पारि-पर्यटन के लिए आवंटित कुल धनराशि**
1	**गुजरात**	7.00
2	**पश्चिम बंगाल**	4.83
3	**केरल**	0.00
4	**पुदुचेरी**	1.00
5	**आंध्र प्रदेश**	0.00
6	**ओडिशा**	0.044
	कुल	**12.874**
